

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052023-245777 CG-DL-E-10052023-245777

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2055] No. 2055]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 9, 2023/वैशाख 19, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 9, 2023/VAISAKHA 19, 1945

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

शुद्धि-पत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2023

का.आ. 2145(अ).—विस्फोटक नियमावली, 2008 के नियम 10(2) (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा, भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 14 जून, 2022 को प्रकाशित अधिसूचना एस.ओ. 2721 (ई) में निम्नलिखित और संशोधन करती है। उक्त अधिसूचना में विशिष्ट रूप से निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाए:

विस्फोटक नियमावली, 2008 के नियम 10(2) (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के दिनांक 01.04.2022 के पत्र सं.जी.22(47) 155/ विस्फोटक के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण में सीबी-01 और सीबी-06 बर्थों को आईएमडीजी श्रेणी 1.4एस विस्फोटकों को समुद्र मार्ग से भारत से बाहर निर्यात करने के लिए अधिसूचित करती है।

के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए

विस्फोटक नियमावली, 2008 के नियम 10(2) (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के दिनांक 02.12.2022 के पत्र सं. जी. 22(47) 155/ विस्फोटक के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण में सीबी-01 और सीबी-06 के अतिरिक्त एपीएमटी-2 और बीएमसीटी-2 बर्थों को आईएमडीजी श्रेणी 1.4एस विस्फोटकों को समुद्र मार्ग से भारत से बाहर निर्यात करने के लिए अधिसूचित करती है।

[फा. सं. पीडी-12019/3/2023-पीडी-III]

सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

387

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (PORTS WING)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2023

S.O. 2145(E).—In exercise of the powers conferred under Rule 10(2) (b) of the Explosives Rules 2008, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notifications vide S.O. 2721(E) dated 14th June, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii). In the said notification, the following entry shall in particular be substituted:

FOR

In exercise of the powers conferred under Rule 10(2)(b) of the Explosives Rules 2008, the Central Government hereby notifies CB-01 and CB-06 berths at Jawaharlal Nehru Port Authority for exporting of IMDG Class 1.4S explosives out of India by sea in accordance with the conditions prescribed by the Petroleum and Explosives Safety Organization vide its letter No.G.22(47)155/Explosives dated 01.04.2022.

READ

In exercise of the powers conferred under Rule 10(2)(b) of the Explosives Rules 2008, the Central Government hereby notifies APMT-2 and BMCT-2 berths, in addition to CB-01 & CB-06, at Jawaharlal Nehru Port Authority for exporting of IMDG Class 1.4S explosives out of India by sea in accordance with the conditions prescribed by the Petroleum and Explosives Safety Organization vide its letter No.G.22(47)155/Explosives dated 02.12.2022.

[F. No. PD-12019/3/2023-PD-III]

SUSHIL KUMAR SINGH, Jt. Secy.



